



# फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना जहानगंज

दिनांक :- 09.04.2024

थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 49/24 धारा- 379 में वांछित अभियुक्त को 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु, 01 अंगूठी पीली धातु, 01 मोबाइल, 1500/- रुपये नगद, 01 तंमचा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानगंज पुलिस द्वारा दिनांक 09.04.2024 को अभियुक्त मो0 अली पुत्र मुन्ने खां निवासी वार्ड नं0 10 बंजारा मोहल्ला, सखानू, कोतवाली अलापुर जनपद बदायूं सम्बन्धित मु0अ0सं0 49/24 धारा 379 भादवि को गिरफ्तार किया गया ।



## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मो० अली पुत्र मुन्ने खां निवासी वार्ड नं० 10 बंजारा मोहल्ला, सखानू, कोतवाली अलापुर जनपद बदायूं।

**घटना का विवरण:-** दिनांक 28.03.2024 को वादिया श्रीमती देवकी पत्नी अतीस निवासिनी इचरिया (खडिनी) थाना सौरिख जनपद कन्नौज की तहरीर पर मु०अ०सं० 49/24 धारा 379/420 भादवि पंजीकृत हुआ था। थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मो० अली पुत्र मुन्ने खां निवासी वार्ड नं० 10 बंजारा मोहल्ला, सखानू, कोतवाली अलापुर जनपद बदायूं को दरियावगंज चौराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 जोडी पाजेब सफेद धातु, 01 अदद अंगूठी पीली धातु, 01 अदद मोबाईल सैमसंग (कीपैड), 1500/- रुपये नगद, 01 अदद तंमचा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये। माल बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि० की बढोतरी की गयी तथा बरामद तंमचा व कारतूस के आधार धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोतरी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:-** पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपना जुर्म से इकबाल करते हुये बताया कि अपने साथ उक्त घटना में अपने साथी इरशाद पुत्र मुराद अली निवासी वार्ड नं० 10 बंजारा मोहल्ला सखानू थाना कोतवाली अलापुर जनपद बदायूं के शामिल होने की बात स्वीकार की तथा इस कार्य में गाडी नं० UP14 R9123 मारुती जेन में बैठाकर वादिया मुकदमा से उसके जेवर व रुपये चोरी करने का जुर्म स्वीकार किया है।

## बरामदगी का विवरण:-

1. 01 जोडी पाजेब सफेद धातु
2. 01 अदद अंगूठी पीली धातु
3. 01 अदद मोबाइल सैमसंग (कीपैड)
4. 1500/- रुपये नगद
5. 01 तंमचा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद।

## अभियुक्त मो० अली पुत्र मुन्ने खां का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 242/2013 धारा 394/302/120बी व 34 भादवि थाना अलीगंज जनपद एटा।
2. मु०अ०सं० 314/2013 धारा 307 भादवि कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
3. मु०अ०सं० 315/2013 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
4. मु०अ०सं० 317/2013 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
5. मु०अ०सं० 316/2018 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना सिविल लाईन जनपद बदायूं।

6. मु0अ0सं0 74/2019 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना सिविल लाईन जनपद बदायूं ।
7. मु0अ0सं0 158/19 धारा 60(2) एक्साइज एक्ट 272/273 भादवि थाना अलापुर जनपद बदायूं ।
8. मु0अ0सं0 66/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अलापुर जनपद बदायूं ।
9. मु0अ0सं0 49/24 धारा 379/420/411 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।
10. मु0अ0सं0 47/24 धारा 379/411 भादवि कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ ।

**गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 रामबाबू सिंह
2. उ0नि0 अच्छेलाल पाल
3. उ0नि0 स्वदेश कुमार
4. का0 कुलदीप कुमार
5. का0 बृजवीर सिंह
6. का0 नईम खान

**मीडिया सेल फतेहगढ़ ।**



# फतेहगढ़ पुलिस



**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

**थाना जहानगंज**

**दिनांक-09.04.2024**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त प्रवीन कटियार उर्फ मोनू पुत्र दिनेशचन्द्र निवासी ग्राम उस्मानगंज थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०-104/2023 वाद स०- 518/2023 धारा- 376AB,377,342 भा०द०वि० व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 09.04.2024 को मा० न्यायालय स्पेशल पाक्सो कोर्ट फरूखाबाद द्वारा अभि० को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास व 01 लाख 01 हजार रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री प्रदीप कुमार सिंह



कोर्ट मोहररि म०का० स्वाती



पैरोकार हे०का० शैलेन्द्र कुमार



